लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक/अतिथि शिक्षक/2025–26/388 भोपाल, दिनांक 17-10-2025

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक म.प्र.।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः–अतिथि शिक्षक मानदेय भुगतान विषयक्।

संदर्भः–1. संचालनालय का पत्र क्र/217 दिनांक 15.07.2025।

उपरोक्त संदर्भित पत्र मे शैक्षणिक सत्र 2025–26 मे अतिथि शिक्षकों का मानदेय हमारे शिक्षक एप्प के माध्यम से ई–उपस्थिति के आधार पर करने के निर्देश दिये गये थें। इस आधार पर मानदेय दिया गया है। इस संबंध में स्थानीय स्तर पर जानकारी के अभाव एवं ई अटेंडेंस का प्रारंभिक चरण होने के कारण कतिपय अतिथि शिक्षक माह जुलाई एवं अगस्त 2025 में कुछ दिवस की ई–अटेडेंस नही लगा पाए है।

प्रशासकीय आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि जुलाई एवं अगस्त माह में ऐसे अतिथि शिक्षक जो किसी कारणवश किसी दिवस की ई–अटेडेंस दर्ज नही कर सके हैं, तो उनके लिए शाला प्रभारी संबंधित अतिथि शिक्षक की शाला में उपस्थिति पंजी के आधार पर, सत्यापित उपस्थिति पंजी की प्रति पोर्टल 3.0 पर अपलोड करते हुए उन दिवसों की प्रविष्टि पोर्टल 3.0 पर करेगें। तदुपरांत इन दिवसों का मानदेय देयक पोर्टल से जनरेट हो सकेगा।

सितम्बर से ई–अटेडेंस के संबंध में संचालनालय के पत्र कमांक 199 दिनांक 26.06.2025 एवं पत्र कमांक 217 दिनांक 15.07.2025 का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। शाला प्रभारी, संकुल प्राचार्य एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी **एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर संलग्न मैन्युअल** के अनुसार कार्यवाही करें।

ई–अटेंडेंस की कार्यवाही प्रारम्भिक चरण मे होने के कारण उपरोक्तानुसार दी गई शिथिलता को भविष्य के लिए उदाहरण नही माना जायेगा।

(प्रशासकीय अनुमोदन अनुसार)

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्र./अतिथि शिक्षक/2025–26/389 भोपाल, दिनांक 17.10.2025

प्रतिलिपिः–

1-विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
2-सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.।
3-संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4-कलेक्टर समस्त जिले मध्यप्रदेश।
5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
6-समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय) स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7-Nicsi भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं समयसीमा मे पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanner